देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना के मुख्य बिंदु

मध्यप्रदेश के मालवा पठार पर स्थित देवास उद्योगों की दृष्टि से महत्वूपर्ण शहर है। सत्तर के दशक की शुरूआत तक देवास शहर देश के अन्य शहरों के समान ही था लेकिन सन् 1972 में सरकार ने देवास में औद्योगिक क्षेत्र बनाकर यहाँ स्थापित उद्योगों कई प्रकार की रियायतें दी थीं। वर्तमान में यहाँ छोटी बड़ी कोई 450 औद्योगिक ईकाईयाँ है।

इससे न सिर्फ यहाँ उद्योगों का विकास हुआ बल्कि शहर की जनसंख्या भी असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगी। सन् 1971 और 1991 के बीच देवास की आबादी तीन गुना बढ़ गई। इस औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव पानी पर पड़ा। पहले क्षिप्रा नदी से उद्योगों को पानी दिया गया। जब शिप्रा व अन्य स्रोतों से पानी कम पड़ने पर भूमिगत जलदोहन का रास्ता अपनाया गया जो आत्मघाती साबित हुआ और देवास की वर्तमान जलसमस्या में इसका बड़ा हाथ है।

देवास की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1971	51,545	
1981	83,465	62
1991	164,360	97
2001	231,670	41
2011	2,89,438	25

Source-City Sanitation Plan for Dewas, 2011, page-17

सरकार ने भूमिगत जलदोहन हेतु सन् 1973 से नलकूप काम्प्लेक्स (समूह) बनाने शुरू किए। भूमिगत जल की उपलब्धता कम होने पर नलकूप की गहराई भी बढ़ाई जाने लगी और नलकूप काम्प्लेक्स की संख्या भी। अनियंत्रित दोहन से ये नलकूप काम्प्लेक्स एक के बाद एक सूखते चले गए। 1992 तक कुल 141 नलकूपों में से 118 नलकूप सूख चुके थे इससे न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बल्कि शहरी जलप्रदाय हेतु जल उपलब्धता भी प्रभावित की। पेयजल संकट का सबसे बुरा असर शहर की तंग बस्तियों में रहने वाली 40% यानी 1,11,491[1] जनसंख्या पर सर्वाधिक पड़ा क्योंकि इन बस्तियों तक नागरिक सुविधाओं की पहुँच अत्यंत सीमित है।

परियोजना

स्थानीय उद्योगों को पानी उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (MPSIDC) के माध्यम से एक योजना पर काम शुरू किया। योजना हेतु सितंबर 2004 में प्रकाशित किए गए अभिरूचि के आमंत्रण (Request for Proposal) के अनुसार तब उद्योगों को मात्र 2.4 एमएलडी पानी उपलब्ध था जबकि उद्योगों की वास्तविक जरूरत 15 एमएलडी थी। पानी की कमी के कारण उद्योगों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अक्टूबर 2004 में MPSIDC ने BOT आधार पर 30 वर्ष के लिए देवास औद्योगिक संघ (DIA) को 23 एमएलडी जलप्रदाय हेतु निविदा जारी की। पानी 128 किमी दूर और 303 मीटर की गहराई स्थित नर्मदा नदी से लाया जाना प्रस्तावित किया गया था। पहली निविदा में परियोजना की लागत 65 करोड़ थी जिसे बाद में बढ़ा कर 77.50 करोड़ कर दी गई। पानी की दर 26.50 रूपए किलो लीटर निर्धारित की गई थी।

[1] Draft City Sanitation Plan for Dewas, USAID and Alchemy Urban Systems (P)_Ltd., January 2011, Page-87

परियोजना का ठेका बड़ौदा (गुजरात) की निजी कंपनी मेसर्स एमएसके प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड को दिया गया। कंपनी ने निर्माण कार्य फरवरी 2006 में शुरू किया। निर्माण अवधि 2 वर्ष निर्धारित थी लेकिन निर्माण पौने 3 साल बाद अक्टूबर 2008 में पूरा हो पाया। हालांकि परियोजना का निर्माण पूर्ण हुआ या नहीं इस पर संदेह है। जून 2011 में एमपीएसआईडीसी ने स्वीकार किया कि परियोजना अभी अपूर्ण है और इसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित लाभ

देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना से अपेक्षा की गई थी निजी कंपनी कुशलतापूर्वक प्रबंधन के माध्यम से अच्छी सेवाएँ देगी। उद्योगों को अच्छी गुणवत्ता का विश्वसनीय जलप्रदाय हो सकेगा। जलसंकट से प्रभावित उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा। उद्योगों द्वारा किए जा रहे भूजल दोहन पर रोक लगने से क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। पानी की पाईपलाईन के रास्ते में पढ़ने वाले गाँवों को और जरूरत पढ़ने पर देवास नगरनिगम को भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

लेकिन खराब गुणवत्ता के निर्माण के कारण परियोजना शुरू होने के 4 वर्षों बाद भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इससे न तो औद्योगिक क्षेत्र की समस्या हल हुई और न ही गाँवों और देवास शहर की। परियोजना क्रियांवयन के पूर्व निजी कंपनी ने 141 उद्योगों से 9.89 एमएलडी जलप्रदाय का अनुबंध किया था लेकिन अभी तक कंपनी औसत साढ़े 3 एमएलडी ही जलप्रदाय कर पा रही है। इससे देवास शहर को 4 एमएलडी तक जलप्रदाय किया जाना था लेकिन अभी तक सिर्फ गर्मियों में ही कुछ समय यह जलप्रदाय हो रहा है, वह भी एक एमएलडी से कम। जिन गाँवों से होकर योजना की पाईप लाईन गुजर रही है उन रास्ते में पड़ने वाले गाँवों को 2 एमएलडी जलप्रदाय का आश्वासन दिया गया था लेकिन इन गाँवों जलप्रदाय नहीं किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिला पंचायत ने भी इसकी पुष्टि की है कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय की किसी योजना से भी दोनों विभागों ने इंकार किया है।

औद्योगिक इकाईयाँ भी स्वीकार कर रही है कि कंपनी अनुबंध के अनुसार पानी उपलब्ध नहीं करवा रही है जिससे उद्योग भूजल दोहन कर रहे हैं। इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु क्षेत्रभ्रमण के दौरान हमने कंपनी के प्रतिनिधि से कई बार संपर्क करना चाहा लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से इंकार कर दिया।

कंपनी के फायदे के लिए न्यूनतम उठाव (Mimimum off-take) की गारण्टी दी गई है। व्यक्तिगत अनुबंध के अनुसार यदि कोई उद्योग जल की अनुबंधित मात्रा के 65 प्रतिशत से कम पानी लेता है तो भी उसे कम से कम 65 प्रतिशत पानी का भुगतान करना आवश्यक किया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा अपर्याप्त जलप्रदाय की स्थिति में उपभोक्ताओं को अन्य स्रोतों से पानी खरीदने में खर्च हुई अंतर राशि हर्जाने के रूप में भुगतान का प्रावधान है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण अभी तक सामने नहीं आया है।

कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004 के पूर्व जैसे ही हालात है।

अनुबंध के बाद वाले बदलाव

निजी कंपनियों द्वारा अनुबंध हो जाने के बाद अनुबंध की शर्तों में बदलाव करवाना आम है। व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ होने के बावजूद ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनमें निजी कंपनियों ने सरकार से फिरौती वसूली है और अनुबंध की शर्तें बदलवाई है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जलप्रदाय जैसी नागरिक सेवाओं के क्षेत्र ऐसा ज्यादा हो रहा है। देवास के उद्योगों को जरूरत का पानी प्रदाय नहीं करने वाली वेलस्पन इन्फ्राटेक लिमिटेड (एमएसके की मातृ कंपनी) अनुबंध में ऐसे ही बुनियादी बदलावों हेतु प्रयासरत् हैं जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। इन बदलावों में परियोजना की स्थापित क्षमता 23 से बढ़ाकर 45 एमलडी करने, अनुबंध की अवधि 30 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने, परियोजना की लागत बढ़ाकर 110 करोड़ करने की माँगें शामिल हैं। जलदरों को 26.50 रूपए से बढ़ाकर 34.77 प्रति किलोलीटर करने और इससे अधिक जलप्रदाय होने पर 50 रूपए प्रति किलोलीटर करने की मांग भी की जा रही है।

देवास में शहरी जलप्रदाय की स्थिति

देवास में पेयजल की स्थिति गंभीर बताई जाती है। नगर निगम मात्र 12 एमएलडी जलप्रदाय कर पाता है जो शहर की वर्तमान 2,89,438 जनसंख्या के लिए 41 लीटर/व्यक्ति/दिन होता है। केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (Centre Public Health and Environmental Engineering Organisation, CPHEEO) के दिशानिर्देशों के अनुसार जिन नगरों में मलनिकास प्रणाली अस्तित्व में वहाँ 135 एलपीसीडी के हिसाब से जलप्रदाय किया जाना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो देवास में गंभीर जल संकट है। हालांकि कई लोगों के घरों में ट्यूबवेल भी है और वे पानी की कमी की पूर्ति इनसे करते हैं लेकिन ट्यूबवेलों से भी गर्मी के दिनों में जल आपूर्ति कम हो जाती है। अलग–अलग स्रोत देवास में ट्यूबवेलों का आँकड़ा 20,000 से 36,000 के बीच दर्शाते है।

देवास की स्वच्छता रपट के अनुसार देवास की जनसंख्या का 40% हिस्सा गरीब और तंग बस्तियों में निवास करता है। इनमें से भी केवल 47% गरीब ही नगरनिगम के सार्वजनिक नलों का लाभ उठा पाते हैं।

अ.क्र.	स्रोत	उपलब्धता (एमएलडी)
1.	क्षिप्रा	5
2.	राजानाल तालाब	4
3.	ट्यूबवेल	1
4.	नर्मदा (इंदौर नगरनिगम से)	2
5.	अन्य स्रोत (जैसे टेंकर, गर्मी के दिनों में देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना, भूजल	3 - 4

नगरनिगम के अनुसार नगर में 21,000 घरेलू, 500 व्यावसायिक और 1000 सार्वजनिक नल है। इसके अलावा 236 हेण्डपम्प (186 चालू) और नगरनिगम के 507 बोरवेल हैं।

वर्ष 2000 में जब जल संकट ज्यादा बढ़ा तो देवास नगरनिगम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इंदौर नगरनिगम से 5 एमएलडी नर्मदा जल उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उच्च न्यायालय ने 13 लाख गेलन प्रतिदिन (5.75 एमएलडी) पानी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया लेकिन वर्ष 2010-11 में इंदौर नगरनिगम ने देवास को केवल 2 एमएलडी पानी ही उपलब्ध करवाया।

पिछले 3 वर्षों से गर्मी के दिनों इंदौर नगरनिगम, टेंकर संचालक और देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना से पानी की पूर्ति की जा रही है। जल आपूर्ति के आँकड़े दर्शाते हैं कि देवास नगरनिगम को देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना का महँगा पानी खरीदने में मुश्किल होती है और वर्ष के कुछ ही महीनों में 3.5 एमएलडी से 4.3 एमएलडी के मध्य पानी खरीद पाता है।

यूआईडीएसएसएमटी

जल आवर्धन हेतु देवास नगरनिगम यूआईडीएसएसएमटी के तहत भी प्रयास कर रहा है। 12 वे वित्त आयोग के तहत 15 एमएलडी क्षमता की क्षिप्रा जल आवर्धन योजना का कार्य जारी था और इसके लिए हुडको से 20 करोड़ रूपए का कर्ज भी लिया जा चुका था। सितंबर 2007 में यूआईडीएसएसएमटी के तहत 35 एमएलडी जल आवर्धन हेतु में 98.11 करोड़ रूपए की लागत वाली लोधरी परियोजना स्वीकृत हो गई जिससे इस परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया।

लागत वृद्धि के कारण लोधरी योजना पूरी नहीं की जा सकी थी लेकिन यूआईडीएसएसएमटी की राशि को भी क्षिप्रा जल आवर्धन योजना में लगाने का निर्णय लिया गया ताकि एक योजना पूरी हो सके। इसी के साथ लोधरी परियोजना का विचार त्याग दिया गया। देवास नगरनिगम द्वारा इसका कारण दिया गया कि यदि लोधरी परियोजना पर काम शुरू किया जाता तो क्षिप्रा की तरह लोधरी योजना भी अधूरी रह जाती। वास्तव में यदि लोधरी परियोजना पहले पूरी की जाती तो देवास का जलसंकट हल करने में अधिक मदद मिलती।

क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के घटक

अ⊥ क्र.	विवरण	लागत (लाख रूपए)
1.	पाईप लाईन (वितरण व्यवस्था)	17.93
2.	ओवरहेड टेंक	6.54
3.	नाले पर बाँध निर्माण	2.42
4.	क्षिप्रा पर बैराज निर्माण	20.45
5.	इंटेक वेल (25 एमएलडी) और जलशोधन संयंत्र (150 एमएलडी) निर्माण	15.07
	योग	**62.41**
स्रोत–यूआईडीएसएसएमटी मीटिंगों के मीनिट		

नगरनिगम के तर्क से सहमत होकर यूआईडीएसएसएमटी की नोडल एजेंसी ने लोधरी योजना हेतु स्वीकृत राशि 98.11 करोड़ में से 57॰37 करोड़ राशि क्षिप्रा योजना पूरी करने

हेतु स्वीकृत कर दी गई। हालांकि क्षिप्रा योजना की लागत का पुनरीक्षण करने पर 62.41 करोड़ की लागत आई (देखें तालिका) लेकिन लागत पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया गया।

देवास के सिटी डेवलपमेंट प्लान में क्षिप्रा जल आवर्धन के स्थायित्व पर संदेह व्यक्त किया गया है क्यों क्षिप्रा में वर्ष भर जलप्रवाह नहीं रहता है। साथ ही, नर्मदा से जलप्रदाय की वकालत की गई है।

यूआईडीएसएसएमटी की राशि को क्षिप्रा जल आवर्धन योजना में लगाने का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता। क्षिप्रा जल आवर्धन योजना पूर्ण हो जाने के बाद भी देवास का जल संकट हल नहीं होगा। शहर की वर्तमान जरूरत 39 एमएलडी बताई जा रही है जबकि क्षिप्रा योजना के बाद जल उपलब्ध 25 एमएलडी तक ही रहेगी और 10-12 एमएलडी की कमी बड़ी कमी मानी जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर–नवंबर से जून तक क्षिप्रा सूखी रहती है और इसमें अत्यधिक संदेह है कि बैराज में संग्रहित पानी बारिश आने पर शहर को पानी उपलब्ध करवा पाएगा।

जल दरें

क्षिप्रा आवर्धन योजना प्रारंभ होने के बाद घरेलू जलदरें बढ़ा कर 200 रूपए प्रतिमाह और कनेक्शन शुल्क 3000 रूपए करने का विचार है। नगरनिगम द्वारा लिए हुडको से लिए गए कर्ज के तहत भी ऐसा आश्वासन दिया गया है। सिटी सेनिटेशन प्लान के मुताबिक नगरनिगम का इरादा सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाने तथा 13-14 रूपए प्रति किलोलीटर की दर से जलप्रदाय का है। क्षिप्रा जलआवर्धन योजना से 25 एमएलडी पानी ही मिलेगा। शेष 14 एमएलडी पानी अन्य स्रोतों से लेना होगा। यदि देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना 26.50 रूपए किलो लीटर की दर से पानी लिया जाएगा तो नगरनिगम को जलदरें और बढ़ानी पड़ेगी जो स्थानीय नागरिकों पर भारी पड़ेगी।

जल विवाद

बदलते समय में नीतियों और प्रशासनिक ढाँचे के अभाव के कारण देशभर में बड़े पैमाने पर जलविवाद खड़े हो रहे हैं। इन विवादों के कारण न सिर्फ संबंधित क्षेत्रों का बल्कि एक बड़े हिस्से का सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। इन विवादों के महत्वपूर्ण पक्षों में विभिन्न हितधारकों की सहभागिता के बगैर राज्य की एजेंसियों के प्रभाव में निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव, संस्थागत ढाँचे की कमजोरी, सामाजिक और राजनैतिक समीकरणों के कारण कानून और दिशानिर्देशों का अप्रभावी तरीके से लागू किया जाना और जलक्षेत्र के बारे में विस्तृत सूचनाएँ और विश्लेषण का अभाव प्रमुख है। इस प्रकार अस्पष्ट नीतियाँ प्रक्रिया और ढाँचे इन विवादों के स्थाई और सर्वमान्य हल के बजाय इन्हें बढ़ाने में योगदान देते हैं।

देवास में जल विवाद

इस अध्ययन में देवास औद्योगिम जलप्रदाय योजना से खड़े हुए प्रमुख दो विवादों की ओर इशारा किया गया है। विवाद का पहला कारण नागरिक सेवाओं के मुकाबले औद्योगिक जरूरत को अधिक महत्त्व दिया जाना है। मध्यप्रदेश की जल नीति पेयजल को उच्च प्राथमिकता देती है लेकिन

इसके बावजूद सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पानी लाने हेतु लम्बी दूरी और ऊँची लागत की परवाह नहीं की गई है। लेकिन यह पानी देवास शहर प्यास बुझाने के लिए नहीं है। देवास नगरनिगम के लिए तो इस महँगें पानी खरीदना मुश्किल हो रहा है।

दूसरा विवाद औद्योगिक और ग्रामीण जलप्रदाय को लेकर है। नर्मदा से देवास औद्योगिक क्षेत्र में पानी लाने हेतु जिन गाँवों से पाईप लाईन डाली गई है उन गाँवों में पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन योजना शुरू होने के बाद इस आश्वासन को नकार दिया गया है। जिस सरकारी एजेंसी का काम आश्वासन तोड़ने वाली निजी कंपनी को दण्डित करने का था उसने उल्टे लोगों पर ही पानी चोरी और पाईपलाईन क्षतिग्रस्त करने क इल्जाम लगा दिए। वास्तव में पाईपों में टूटफूट का कारण घटिया सामग्री गलत डिजाईन था।

अब देश में इस प्रकार निजी जलप्रदाय योजनाएँ तेजी से बढ़ रही है जिनमें शामिल सक्षम एवं प्रभावशाली वर्ग सार्वजनिक संसाधनों पर नियंत्रण की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगें जिससे इस प्रकार के विवादों के तेज होने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में पानी संबंधी समस्याओं के स्थाई एवं समतापूर्ण समाधान की संभावनाएँ क्षीण हो जाएगी।

सार संक्षेप

सरकारी दस्तावेजों, संबंधित पक्षों के साक्षात्कार, योजना की पड़ताल और अध्ययन के दौरान हुए अनुभवों स्पष्ट हुआ कि देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में योजना का लाभ मिलना शुरू ही नहीं हो पाया है और जहाँ पानी पहुँचा है वहाँ भी अपर्याप्य और अनियमित प्रदाय है। ग्रामीण क्षेत्र को पानी देने पर रोक लगा दी गई है जबकि लोगों की माँग बरकरार है। इसके विपरीत, पेयजल और उद्योगों की जरूरत के बीच गलत प्राथमिकताओं से देशभर में इन वर्गों के मध्य विवाद पैदा हो रहे हैं। तथ्य बताते हैं कि इन विवादों के और भी गहराने के आसार हैं।

– मंथन अध्ययन केन्द्र
सितंबर 2012

———0———